मरम्मत का अधिकार

संदर्भ

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मरम्मत के अधिकार के लिए एक समग्र ढांचा विकसित करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

• समिति ने अपनी पहली बैठक में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जिनमें कृषि उपकरण, मोबाइल फोन/टैबलेट, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं और ऑटोमोबाइल/ऑटोमोबाइल उपकरण शामिल हैं।

• "मरम्मत का अधिकार" के पीछे तर्क यह है कि जब कोई उत्पाद खरीदता है, तो उसके पास पूरी तरह से उसका स्वामित्व होना चाहिए, जिसके लिए वह आसानी से और उचित लागत पर उत्पाद की मरम्मत और संशोधन करने में सक्षम हो।

• प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में शुरू किए गए लाइफस्टाइल (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) आंदोलन में पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण की अवधारणा शामिल है।

• मरम्मत सभी प्रकार के पुन: उपयोग और यहां तक कि उत्पादों के टिकाऊ जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है।

मुद्दे

• कलपुर्जों पर विनिर्माताओं का मालिकाना नियंत्रण होता है।

• मरम्मत प्रक्रियाओं पर एकाधिकार ग्राहक के "चुनने के अधिकार" का उल्लंघन करता है।

• कंपनियां मैनुअल के प्रकाशन से बचती हैं जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से मरम्मत करने में मदद कर सकती हैं।

• निर्माता नियोजित अप्रचलन की संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं जिसके तहत एक गैजेट को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह एक विशेष समय तक रहता है जिसके बाद इसे अनिवार्य रूप से बदलना पड़ता है।

• डिजिटल वारंटी कार्ड यह सुनिश्चित करते हैं कि "गैर-मान्यता प्राप्त" संगठन से उत्पाद प्राप्त करने से ग्राहक वारंटी का दावा करने का अधिकार खो देता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार

• यू.एस.ए., यू.के. और यूरोपीय संघ सहित दुनिया भर के कई देशों में मरम्मत के अधिकार को मान्यता दी गई है।

• संयुक्त राज्य अमेरिका में, निर्माताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उपभोक्ता स्वयं या किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा मरम्मत कर सकते हैं।

• यू.के. ने एक कानून भी पारित किया है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता शामिल हैं जो उपभोक्ताओं को मरम्मत के लिए या तो स्वयं या स्थानीय मरम्मत की दुकानों द्वारा स्पेयर पार्ट्स प्रदान करते हैं।

• मरम्मत कैफे ऑस्ट्रेलियाई प्रणाली की एक उल्लेखनीय विशेषता है। ये बैठक स्थल हैं जहां स्वयंसेवक मरम्मत करने वाले अपने मरम्मत कौशल को साझा करने के लिए इकट्ठा होते हैं।

• यूरोपीय संघ ने कानून पारित किया जिसके लिए निर्माताओं को 10 साल के समय के लिए पेशेवर मरम्मत करने वालों को उत्पादों के कुछ हिस्सों की आपूर्ति करने की आवश्यकता थी।

सिंथेटिक डिमर

संदर्भ

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों ने CSIR-माइक्रोबियल प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं के सहयोग से SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए एक नया तंत्र विकसित किया है।

मुख्य बिंदु

• प्रोटीन-प्रोटीन परस्पर क्रिया अक्सर ताले और चाबी की तरह होती है।

• इस क्रिया को सिंथेटिक पेप्टाइड द्वारा बाधित किया जा सकता है जो 'कुंजी' को 'लॉक' या इसके विपरीत बंधन से रोकता है।

• वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक पेप्टाइड्स का एक नया वर्ग तैयार किया है। डिज़ाइन किए गए पेप्टाइड्स पेचदार, हेयरपिन के आकार के होते हैं, प्रत्येक अपनी तरह के दूसरे के साथ जुड़ने में सक्षम होते हैं, जिसे डिमर के रूप में जाना जाता है।

• प्रत्येक डिमेरिक 'बंडल' दो लक्ष्य अणुओं के साथ बातचीत करने के लिए दो 'फेस' प्रस्तुत करता है।

इसने संक्रमण को कैसे रोका

• डिज़ाइन किया गया पेप्टाइड SARS-CoV-2 के स्पाइक (S) प्रोटीन और ACE2 प्रोटीन, मानव कोशिकाओं में SARS CoV-2 रिसेप्टर के बीच परस्पर क्रिया को लक्षित करता है।

• एस प्रोटीन एक ट्रिमर है - तीन समान पॉलीपेप्टाइड्स की एक शृंघला। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन (आरबीडी) होता है जो ACE2 रिसेप्टर से जुड़ता है।
• जब डिमर को एस प्रोटीन से जोड़ा जाता है, तो उसका एक चेहरा एस प्रोटीन ट्रिमर पर तीन आरबीडी में से एक से मजबूती से जुड़ा हुआ था, और दूसरा फेस एक अलग एस प्रोटीन से आरबीडी से बंधा हुआ था। इस 'क्रॉस-लिंकिंग' ने डिमर को एक ही समय में दोनों एस प्रोटीन को ब्लॉक करने की अनुमति दी और वायरस को कुशलता से निष्क्रिय कर दिया।

बौद्धिक विरासत परियोजना

संदर्भ

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सरकार की पहल पर एक संवाद, चर्चा और अनुसंधान कार्यक्रम बनाने की योजना बना रहा है जिसे विकास में बौद्धिक विरासत के रूप में जाना जाता है।

मुख्य बिंदु

• योजना देश भर में 100 विषयों पर लगभग 100 सम्मेलन आयोजित करने की है जहां माध्यमिक डेटा और मंत्रालयों या अन्य जगहों पर उपलब्ध स्रोतों पर आधारित शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।
• उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित शोधकर्ता कागजात में योगदान देंगे, जो अंततः एक पुस्तक में प्रकाशित किया जाएगा।

राजनीतिक दल का प्रतीक

संदर्भ

महाराष्ट्र की उथल-पुथल का नतीजा शिवसेना के गुटों के बीच पार्टी के ब्रांड पर दावा करने और इसके प्रतिष्ठित धनुष और तीर के प्रतीक का उपयोग करने का अधिकार पाने के लिए लड़ाई बन गया है।

शासी कानून क्या है?

• पार्टी चिन्ह चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत आते हैं।
• इसका उद्देश्य "संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों में चुनावों में प्रतीकों के विनिर्देश, आरक्षण, पसंद और आवंटन के लिए, उनके संबंध में राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रदान करना" है।
• आदेश ईसीआई को पार्टी के प्रतीकों को पहचानने और आवंटित करने का अधिकार देता है।
• कौन सा गुट आधिकारिक पार्टी बनाता है, इस पर निर्णय लेने से पहले, चुनाव आयोग पार्टी के संगठनात्मक और विधायी विंग में प्रत्येक दावेदार द्वारा प्राप्त समर्थन को देखता है।
• अधिक विशेष रूप से, चुनाव आयोग पार्टी के संविधान और पार्टी के एकजुट होने पर प्रस्तुत किए गए पदाधिकारियों की सूची की जांच करता है।
• पार्टी की विधायी शाखा के भीतर समर्थन के लिए, चुनाव आयोग उन सांसदों और विधायकों की संख्या को देखता है जो प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी दावेदार का समर्थन करते हैं।

क्या होगा यदि बहमत समर्थन अस्पष्ट है?

• यदि चुनाव आयोग को पता चलता है कि किसी भी गुट के लिए कोई स्पष्ट बहुमतवादी समर्थन मौजूद नहीं है,
• यह पार्टी के प्रतीक को फ्रीज कर सकता है और दो गुटों को नए पार्टी नामों के साथ खुद को पंजीकृत करने या मौजूदा पार्टी के नाम में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने की अनुमति दे सकता है ताकि नई संस्थाओं के बारे में स्पष्ट अंतर हो सके।

आकलन करना कि किस परिस्थिति में एक किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है

संदर्भ

यह तय करना कि क्या जघन्य अपराधों के आरोपी 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में "सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक जांच" पर आधारित होना चाहिए।

कानून क्या है?

• किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15 में गंभीर अपराधों में शामिल 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों की मानसिक और शारीरिक क्षमता का "प्रारंभिक मूल्यांकन" करने की आवश्यकता है।
• आकलन का उद्देश्य बच्चे की अपराध के परिणामों और उन परिस्थितियों को समझने की क्षमता का आकलन करना है जिनमें उसने कथित रूप से अपराध किया है।

• यदि किशोर न्याय बोर्ड की राय है कि किशोर के साथ वयस्क के रूप में व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, तो वह मामले को बच्चों की अदालत को नहीं सौंपेगा और मामले की सुनवाई स्वयं नहीं करेगा।
• उस मामले में, यदि बच्चा दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन साल के लिए किशोर देखभाल के लिए भेजा जाएगा।
• दूसरी ओर, यदि बोर्ड मामले को बाल न्यायालय में सुनवाई के लिए वयस्क के रूप में भेजने का निर्णय लेता है, तो किशोर, यदि दोषी है, तो उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है।
• आलोचना: अदालत ने पाया कि प्रारंभिक मूल्यांकन के संचालन के लिए न तो दिशानिर्देश थे और न ही कोई विशिष्ट ढांचा।
• सुझाव: बच्चे का मूल्यांकन करने वाले बोर्ड में कम से कम एक बाल मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। इसे आगे अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता लेनी चाहिए।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन

संदर्भ

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन आयोजित किया गया था।

मुख्य बिंदु

• हाल ही में जारी किए गए मूल्यांकन परिणामों के बाद, केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल के तहत गृह मंत्रालय (एमएचए) की वेबसाइट को 1 स्थान दिया गया है और केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल के तहत डिजिटल पुलिस पोर्टल को 2 पर रखा गया है।
• यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है।
• **आकलन के चार मुख्य मानदंड थे:-**

अभिगम्यता।
सामग्री उपलब्धता।
उपयोग में आसानी और सूचना सुरक्षा।
केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता।
• **केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टलों के लिए अतिरिक्त तीन मापदंडों का भी उपयोग किया गया था।**
अंत सेवा वितरण,
एकीकृत सेवा वितरण और
स्थिति और अनुरोध ट्रैकिंग।

अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

किल स्विच

सन्दर्भ

हाल ही में यह पता चला है कि कैब एग्रीगेटिंग सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी ने विभिन्न देशों के सरकारी अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान अपने रिकॉर्ड की वैध पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया।

प्रमुख बिंदु

• यह एक डिजिटल उपकरण है जो किसी विशिष्ट कार्य को निष्क्रिय कर देता है या किसी निश्चित प्रक्रिया को तुरंत रोक देता है।
• सॉफ्टवेयर आधारित होने के कारण, इसका पता लगाना मुश्किल होता है और जब उपयोगकर्ता खतरे में होता है तो यह चालू हो जाता है।
• हैकर्स अपने मैलवेयर में स्विच को भी एम्बेड कर देते हैं ताकि उन्हें दूर से ही नष्ट कर दिया जा सके, ताकि यदि उन्हें ढूँढा जाए तो उनका पता नहीं लगाया जा सके।
• इसका उपयोग गोपनीयता की रक्षा करने और चोरी और हैकिंग को रोकने के लिए भी किया जा सकता है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

सन्दर्भ

महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस कार्यक्रम को अब पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• महिला सशक्तिकरण पर लोकसभा समिति ने दिसंबर 2021 में कहा था कि लगभग 80% धन का उपयोग विज्ञापन के लिए किया गया था, न कि क्षेत्रीय हस्तक्षेप पर। मंत्रालय अब इसमें सुधार के निम्न लक्ष्य रखता है:
जन्म के समय लिंगानुपात प्रति वर्ष 2 अंक।
संस्थागत प्रसव 95% या उससे अधिक पर।
पहली तिमाही में प्रति वर्ष एएनसी पंजीकरण में 1% की वृद्धि।
माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में 1% की वृद्धि।
• 100 जिलों में बाल लिंगानुपात में सुधार के लिए 2015 में कार्यक्रम शुरू किया गया था।

भूजल निष्कर्षण नियम

सन्दर्भ

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) ने 2069 उद्योगों को राहत प्रदान करते हुए एनओसी के लिए आवेदन करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ा दी है।

प्रमुख बिंदु

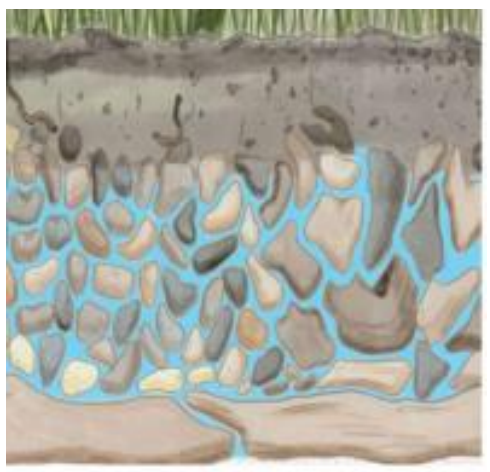

• सीजीडब्ल्यूए का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया है।
• जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सितंबर, 2020 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, नीचे सूचीबद्ध को छोड़कर सभी उपयोगकर्ताओं को भूजल निकालने के लिए सीजीडब्ल्यूए से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक है: पीने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता पानी और घरेलू उपयोग।

- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सशस्त्र बल प्रतिष्ठान और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रतिष्ठान।
- कृषि गतिविधियों।
- सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रतिदिन 10 घन मीटर से कम का आहरण करते हैं।

• अनापत्ति प्रमाण पत्र 2 से 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं, जो उपयोगकर्ताओं और उस क्षेत्र की श्रेणी पर निर्भर करता है जिसमें वे स्थित हैं (अत्यधिक शोषित, महत्वपूर्ण, अर्ध-महत्वपूर्ण और सुरक्षित)।
• हालांकि, सीजीडब्ल्यूए यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख जैसे सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निकासी को विनियमित नहीं करता है। यहां, संबंधित राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें विनियमित करती हैं।

नवीनतम एससीओ सदस्य

सन्दर्भ

ईरान और बेलारूस के चीन और रूस समर्थित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) समूह में दो नए सदस्य होने की संभावना है।

प्रमुख बिंदु

• चीन और रूस इस समूह को विशेष रूप से यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद पश्चिम के जवाबी कार्रवाई के रूप में तैयार करना चाहते हैं।
• भारत 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, और वाराणसी को एससीओ क्षेत्र की पहली "पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी" के रूप में चुना गया है।

एससीओ के बारे में:

• एससीओ एक स्थायी अंतरसरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

- यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है।
- इसे 2001 में बनाया गया था।
- एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए और 2003 में इसे लागू किया गया।
- वर्तमान सदस्य: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और भारत।
- प्रेक्षक राज्य: अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया।

विकासशील देशों में रहने की लागत के संकट को संबोधित करने सम्बंधित रिपोर्ट

सन्दर्भ

रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी की गई थी।

मुख्य बिंदु

- इसने मुद्रास्फीति के प्रभाव, यूक्रेन संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और जीवन यापन की लागत पर कोविड के प्रभाव को मापा।
- इसने गरीबी की तीन रेखाएँ लीं - $1.90 प्रति दिन, $3.30 प्रति दिन और $5.50 प्रति दिन।
- रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य कीमतों में वृद्धि और ऊर्जा की कीमतें वैश्विक स्तर पर 71 मिलियन लोगों को गरीबी में धकेल सकती हैं।
- डेनमार्क, स्वीडन, यूके, इटली, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया को अपने लोगों के गरीबी में गिरने का खतरा है, लेकिन भारत इस श्रेणी में नहीं है।
- भोजन और नकद हस्तांतरण के रूप में सरकार के तत्काल और निरंतर समर्थन के कारण भारत के गरीबों (बीपीएल) पर मुद्रास्फीति का प्रभाव नगण्य होगा।

केवीआईसी ने खादी के लिए ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया

सन्दर्भ

खादी के लिए ज्ञान पोर्टल खादी के उत्कृष्टता केंद्र द्वारा खादी संस्थानों को डिजाइन निर्देश प्रदान करने के लिए विकसित एक मंच है।

प्रमुख बिंदु

- खादी के लिए ज्ञान पोर्टल खादी संस्थानों के व्यापक वर्ग में डिजाइन ज्ञान का प्रसार करने का प्रयास करता है।
- पोर्टल खादी के लिए विशेष रूप से उपयुक्त प्रवृत्तियों को सरल बनाकर डिजाइन हस्तक्षेप बनाने का इरादा रखता है।
- चार कहानियों/डिजाइन दिशाओं की संकल्पना की गई है और उन्हें खंड I में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक कहानी में एक प्रमुख विषय, रंग पैलेट, और बुने हुए डिजाइन, प्रिंट, बनावट और सतहों के लिए दिशा-निर्देश हैं।
- हर कहानी को दो खंडों में विभाजित किया गया है - घर और परिधान।
- थीम के अलावा, पोर्टल घर और परिधान दोनों के लिए आकार चार्ट, सिल्हूट बोर्ड, बटन और क्लोजर, सीम और फिनिश भी प्रदान करता है।
- मौसम और प्रवृत्तियों के अनुसार दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए जानकारी को वर्ष में दो बार अद्यतन किया जाएगा।

जागृति

संदर्भ

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर 'जागृति' की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैला रहा है और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कर रहा है।
- इसका उपयोग विभाग के विभिन्न विषयों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा जैसे: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान,

- हॉलमार्किंग, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915,
- बाट और माप अधिनियम के प्रावधान,
- शिकायत निवारण पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय और उपभोक्ताओं द्वारा प्रशंसापत्र।

• उद्देश्य: इसका उद्देश्य डिजिटल और मल्टीमीडिया में अपने उपभोक्ता जागरूकता अभियान की उपस्थिति को मजबूत करना और एक युवा सशक्त और सूचित उपभोक्ता को एक शीर्ष उपभोक्ता अधिकार जागरूकता रिकॉल ब्रांड के रूप में सुदृढ़ करना है।

MCQ, Current Affairs, Daily Pre Pare